MINOR FOREST PRODUCE PROCESSING & RESEARCH CENTRE (MFP-PARC)
Van Parisar, Barkheda Pathani, Bhopal - 462021, Madhya Pradesh
Tel: (0755) 2970629, 2417670, Fax : (0755) 2970629, E-mail : mfpparc@gmail.com

Application Form
for Appointment on Contract basis post of Marketing Incharge

Affix recent posspoort size Photograph

Name of the Applicant *(in Block Letters)* :..

Father's Name *(in Block Letters)* :..

Permanent Address :..

....

....

Correspondence Address/ Present Address :..

....

....

Nationality :..

Name of State to which you belong :..

Date of Birth :.................................... **Gender** : *(Male/Female)* ....

Telephone/Mobile :..

Educational Qualifications *(Highest First)* : *(Documents enclosed)*

Qualification	University/Institute	Year of Passing	Percentage	Specialization / Major Subjects

Experience *(Latest First) : (Documents enclosed)*

Name of Organization	Designation	Nature of Duties	Period		Emoluments (Last 3 months)
			From	To	

Application Fees Details : *(Original DD enclosed)*

DD Number	Name of Bank and Branch	Date of Issue	Amount

Declaration: I hereby declare that all statements made in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found untrue/ false/ incorrect or I do not satisfy the eligibility criteria, my candidature/ appointment will be cancelled/ terminated, without assigning any reasons thereof. I have read the contents of the advertisement and agree to abide by the rules, regulations and procedures for appointment to the post applied for.

Date :......................
Place :.....................

(Signature of Applicant)

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी, भोपाल में उत्पादित सामग्रियों के मार्केटिंग कार्य हेतु विपणन प्रभारी के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु संचालक मण्डल की 120वीं बैठक दिनांक 07/01/2019 के प्रस्ताव क्रमांक 120.06 अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया एवं शर्ते निम्नलिखित है:–

(i) **अर्हता:**–प्रतिष्ठित संस्थान से एम.बी.ए. (मार्केटिंग)/आई.आई.एफ.एम. से पी.जी.डी.एफ.एम. उत्तीर्ण।

(ii) **नियुक्ति की प्रक्रिया:**–प्रतिष्ठित संस्थान से एम.बी.ए. (मार्केटिंग)/आई.आई.एफ.एम. से पी.जी.डी.एफ.एम. उत्तीर्ण अभ्यार्थियों का चयन प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ द्वारा गठित समिति के द्वारा सीधे साक्षात्कार के माध्यम से।

(iii) **मानदेय:**–रू. 50,500/– (रू. पचास हजार पॉच सौ मात्र) प्रतिमाह।

(iv) **अन्य सुविधाएं:**–लघु वनोपज संघ में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के समान समस्त सुविधाओं की पात्रता होगी। राज्य शासन के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के समान शासकीय प्रवास अवधि में ठहरने व यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(v) **कार्य का स्वरूप:**–विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों के रिटेल मार्केटिंग संबंधी निम्नलिखित कार्यो का संपादन एवं समन्वय :–

1. रिटेल मार्केटिंग के प्रचार प्रसार संबंधी कार्य
2. रिटेल मार्केटिंग अंतर्गत नये वितरको से संपर्क संबंधित कार्य
3. रिटेल आर्डर्स का संपादन
4. मध्यप्रदेश में संचालित संजीवनी केन्द्रों संबंधित लेखा जोखा संधारण का कार्य
5. विन्ध्य हर्बल्स उत्पाद संबंधित व्यावसायिक क्वेरी एवं फीड बैक
6. बारकोड व्यवस्था का संचालन एवं अभिलेख संधारण
7. प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर मेलों में सहभागिता हेतु संपर्क
8. रिटेल एवं अन्य उपरोक्त महत्वपूर्ण कार्यो से संबंधित दस्तावेजों का संधारण
9. रिटेल आपूर्ति के भुगतान हेतु समन्वय
10. रिटेल परिवहन व्यवस्था हेतु समन्वय

(vi) **कार्यानुभव:**–प्रतिष्ठित एफ.एम.सी.जी. अथवा फार्मास्युटिकल उत्पादक संस्था में औषधि–मार्केटिंग का दो वर्ष का अनुभव, निर्यात व आयात नियमों की जानकारी वांछनीय एवं कम्प्यूटर कार्य में दक्षता।

(vii) **नियुक्ति की अवधि:**–अधिकतम दो वर्ष, पूर्णतः अस्थायी। दो वर्ष के पूर्व किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(viii) **संविदा अवधि में वृद्धि:**– विपणन प्रभारी की सेवा अवधि वृद्धि लघु वनोपज संघ के कार्यों की आवश्यकता तथा लघु वनोपज संघ की बढ़ती हुई गतिविधियों एवं जिम्मेदारियों के परिप्रेक्ष्य में की जायेगी।

(ix) संविदा सेवक के **संविदा अनुबंध का नवीनीकरण** एक बार में एक वर्ष के लिये होगा तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों के आंकलन के आधार पर होगा। संविदा कर्मी के लिये Performance Appraisal Report (PAR)लिखा जायेगा तथा संविदा सेवक को 8 या 8 से अधिक के अंक प्राप्त होते है तथा प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अवधि वृद्धि की अनुशंसा की जाती है, तो अवधि वृद्धि की जा सकेगी।

(x) प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ द्वारा आवागमन/चिकित्सा लाभ हेतु एकमुश्त राशि स्वीकृत की जा सकेगी तथा इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि की पात्रता होगी। अन्य किसी प्रकार के भत्ते, महंगाई भत्ता, पेंशन, गृह भाड़ा की पात्रता नहीं होगी।

(xi) संविदाकर्मी के वार्षिक वेतन में वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत की जावेगी।

(xii) संविदा सेवक की आवश्यकता नहीं होने पर एक माह का नोटिस देकर या एक माह के वेतन देकर कार्य से पृथक किया जा सकेगा।

(xiii) अनुशासन हीनता के फलस्वरूप संविदाकर्मी की सेवायें समाप्त भी की जा सकेगी।

(xiv) वर्ष में 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिवस के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। महिला संविदा सेवक को 180 दिवस का मातृत्व अवकाश एवं पुरूष संविदा सेवक को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।

(xv) संविदा पर नियुक्त सेवक का स्थायी किये जाने का दावा मान्य नहीं होगा तथा उनकी पदस्थिति अहस्तांतरणीय होगी तथा स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।

(xvi) संविदा कर्मी के अनुबंध नवीनीकरण करते समय उनके कार्यों एवं जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख अनुबंध में किया जायेगा।

(xvii) संविदा की अन्य शर्ते तथा सुविधायें संचालक मंडल की 118वीं बैठक दिनांक 28/8/2018 के विषय क्रमांक 118:05 पर संविदा भर्ती नियमों के संबंध में पारित संकल्प का आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं म.प्र. से अनुमोदन अनुसार होगी।